संख्या— / जी0एस0 / शिक्षा / A4-108 /2012

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक 11 सितम्बर, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या—1047, दिनांक 01—06—2019 एवं पत्रांक—1056, दिनांक 01—06—2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा **'रूड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, 08 किमी0 देहरादून रोड़, पुहाना, रूड़की'** को बी0टैक0, एम0टैक0, एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम में सत्र 2019—20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2— यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष—दर—वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव व कुलपति, यू0टी0यू0 की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा—24(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को **बी0टैक0(Civil Engg-60, Comuter Science & Engg-120, Electrical Engg-60, Electronics & Communication Engg-60, Mechanical Engg-60), एम0टैक0 (Electrical Engg-24, Production Engg-24, Structural Engg and Construction-18), एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 में क्रमशः 60—60 सीटों में सत्र 2019—20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण** हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति / पुर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि संस्थान द्वारा यू0जी0सी0 विनियमों / नियामक संस्थान के मानकों को पूर्ण करने की दशा में कार्यपरिषद इस सचिवालय के पत्र दिनांक 26—04—2019 के अनुसार पूर्व सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता आदेश जारी करने एवं विश्वविद्यालय संस्थान की फैकल्टी का अनुमोदन प्रमाण पत्र स्वयं जारी करने के उपरान्त ही सत्र 2019—20 की अस्थाई सम्बद्धता आदेश जारी करें व तब तक नवीन प्रवेश न दिये जायें। तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

3— अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समयसारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

4— तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या—2110 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A4-108 / 2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव / निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिग, जनपथ, नई दिल्ली।
4. प्राचार्य / प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।